रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1956] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2014/आश्विन 1, 1936
No. 1956] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2014/ASVINA 1, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

(आय-कर)

का.आ. 2478(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि जहां धारा 92ग के अधीन अवधारित आसन्निकट कीमत और ऐसी कीमत के, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विर्निदिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, बीच अंतर थोक व्यापार की बाबत बाद वाली कीमत के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और सभी अन्य मामलों में बाद वाली कीमत के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसी कीमत को जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विर्निदिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आसन्निकट कीमत समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "थोक व्यापार" से ऐसे माल के व्यापार का ऐसा अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विर्निदिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(i) तैयार माल की क्रय लागत ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित कुल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक है ; और

(ii) ऐसे माल की औसत मासिक संवरण सूची ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित विक्रय का दस प्रतिशत या उससे कम की है ।

[अधिसूचना सं. 45/2014/फा. सं. 500/1/2014-एपीए-II)]

गौरव शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

[INCOME TAX]

S.O. 2478(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (2) of section 92C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that where the variation between the arm's length price determined under section 92C and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed one percent of the latter in respect of wholesale trading and three percent of the latter in all other cases, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price for assessment year 2014-15.

Explanation. For the purposes of this notification, "wholesale trading" means an international transaction or specified domestic transaction of trading in goods, which fulfils the following conditions, namely:-

(i) purchase cost of finished goods is eighty percent or more of the total cost pertaining to such trading activities; and

(ii) average monthly closing inventory of such goods is ten percent or less of sales pertaining to such trading activities.

[Notification No. 45/2014/F. No. 500/1/2014-APA-II]

GAURAV SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.